राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प. 6(12) राज-6/99/23 — अधिसूचना — जयपुर, दिनांक :- 13.10.2005

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं. प. 6(12) राज-6/99/30 दि० 18.9.99 को अतिष्ठित (supersede) करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा आदेश देती है कि आधिमुक्त सरकारी भूमि :-

(क) विद्युत केन्द्र, ग्रिड केन्द्र और उप केन्द्र इत्यादि के सन्निर्माण के लिए राज० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, राज० राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि०, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि०, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि० जोधपुर को,

(ख) कार्यालय, बस अड्डा, डिपो और कार्यशाला के सन्निर्माण के लिए राज० राज्य पथ परिवहन निगम को,

(ग) राजस्थान राज्य भण्डारण निगम, राज. सहकारी दुग्ध उद्योग परिसंघ को:

निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर आवन्टित की जा सकेगी:

निबंधन और शर्तें

(1) भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर दी जावेगी, जो 99 वर्ष की और कालावधि के लिए नवीनीकरणीय होगी।

(2) ऊपर लिखित विभाग/निगम/संस्था को आवंटित भूमि के संबंध में प्रीमियम की दरें, कलेक्टर द्वारा निर्धारित पड़ौस की उसी भूमि वर्गीकरण की कृषि भूमियों की आवंटन के समय विद्यमान कीमतों के समान होगी किन्तु विद्युत निगमों को आवंटित भूमियों की इस हेतु देय राशि, राज्य सरकार द्वारा उन्हें देय आर्थिक सहायता (सब वेन्शन) के रूप में समायोजित की जावेगी।

(3) ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.1.02 के अनुसार, दि० 18.1.02 से पूर्व की, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड या विद्युत निगम लि० जैसी भी स्थिति हो, के विरुद्ध भूमि कीमत इत्यादि की बकाया राशि वसूल योग्य नहीं होगी। राजस्व लेखों में कायम ऐसी मांग को नियमानुसार राजस्व लेखों से कम किया जावेगा परन्तु, यदि पहले से ही ऐसी कोई राशि वसूल कर ली गई है तो उसका प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं किया जावेगा। दि० 18.1.02 के बाद की विद्युत निगमों के विरुद्ध बकाया राशि विद्युत निगमों से वसूली योग्य है जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें देय आर्थिक सहायता (सब वेन्शन) के रूप में समायोजित की जावेगी।

(4) किराया या नगरीय निर्धारण, शर्त संख्या-2 में उल्लेखित राशि का 10 प्रतिशत होगा, जो दस रुपये के निकटतम पूर्णांकित किया जायेगा।

(5) इस प्रकार आवंटित भूमि, सिवाय उस प्रयोजन के जिसके लिये इसे आवंटित किया गया है, किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं ली जायेगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसका विक्रय नहीं किया जायेगा। परन्तु इस अधिसूचना के अधीन 2.08.1984 से 24.09.94 तक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को किये गये भूमि आवंटन की दशा में प्रीमियम, पट्टा किराया या शोध्य नगरीय निर्धारण, यदि कोई हो, वसूल नहीं किया जायेगा, किन्तु पहले से ही वसूल कर ली गई ऐसी किसी रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 10.10.05
उप शासन सचिव